अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

धारा 2 का संशोधन।

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में,–

(क) खंड (12) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, 1 जून, 2001 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'(12क) "बही या लेखा पुस्तक" के अंतर्गत खाता, दैनिक बही, रोकड़ बही, लेखा बही और अन्य बही हैं, चाहे वे लिखित रूप में या किसी फ्लापी, डिस्क, टैप में संगृहीत डाटा के प्रिन्ट आऊट के रूप में या इलैक्ट्रो-चुम्बकीय डाटा भंडारण युक्ति के किसी अन्य प्ररूप में रखी जाएं ;';

(ख) खंड (22क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड, 1 जून, 2001 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

2000 का 21

'(22कक) "दस्तावेज" के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (न) में यथापरिभाषित इलैक्ट्रानिक अभिलेख है ;';

(ग) खंड (24) के उपखंड (ix) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण, 1 अप्रैल, 2002 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'**स्पष्टीकरण**--इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,--

(i) "लाटरी" के अंतर्गत किसी स्कीम या व्यवस्था के अधीन, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लाट निकाल कर या संयोग से या किसी भी अन्य रीति से, किसी व्यक्ति को प्रदान किए गए इनामों से जीत है ;

(ii) "ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल" के अंतर्गत टेलीविजन या इलेक्ट्रानिक माध्यम पर ऐसा कोई खेल प्रदर्शन, कोई मनोरंजन कार्यक्रम, जिसमें लोग इनाम जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, या कोई अन्य समरूप खेल है ;';

(घ) खंड (28ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2002 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

1938 का 4

'(28खख) "बीमाकर्ता" से ऐसा बीमाकर्ता अभिप्रेत है जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (7क) के अधीन परिभाषित कोई ऐसी भारतीय बीमा कंपनी है, जिसे उस अधिनियम की धारा 3 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है ;'।

धारा 9 का संशोधन ।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vi) के स्पष्टीकरण 2 में, 1 अप्रैल, 2002 से,--

(i) खंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(ivक) किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपस्कर का उपयोग या उपयोग करने का अधिकार ;";

(ii) खंड (vi) में, "उपखंड (i) से उपखंड (v)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "उपखंड (i), उपखंड (ii), उपखंड (iii), उपखंड (iv), उपखंड (ivक) और उपखंड (v)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 10 का संशोधन।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,--

(क) खंड (10ग) में,--

(i) उपखंड (vii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(viiक) किसी राज्य सरकार ; या";

(ii) इस प्रकार अंतःस्थापित उपखंड (viiक) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड, 1 अप्रैल, 2002 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(viiख) केंद्रीय सरकार ; या";

(ख) खंड (15) में, 1 अप्रैल, 2002 से,--

(i) उपखंड (iv) में,--

(अ) मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(क) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उस धनराशि पर, जो उसने भारत के बाहर स्रोतों से 1 जून, 2001 से पूर्व उधार ली हो या उन ऋणों पर जिनकी उस पर भारत के बाहर स्रोत की देनदारी हो, संदेय हो ;";

(आ) मद (ख) में, "किए गए किसी उधार करार के अधीन उधार ली हो" शब्दों के स्थान पर "1 जून, 2001 से पूर्व किए गए किसी उधार करार के अधीन उधार ली हो" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(इ) मद (ग) में, "विदेश में उधार ली हो या उपगत किया है" शब्दों के स्थान पर "1 जून, 2001 से पूर्व विदेश में उधार ली हो, या उपगत किया है" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ई) मद (घ) और मद (ङ) में, "उधार ली हो उस परिणाम तक" शब्दों के स्थान पर "1 जून, 2001 से पूर्व उधार ली हो उस परिणाम तक" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(उ) मद (च) में, "केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत में औद्योगिक विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित उधार-करार" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार द्वारा, 1 जून, 2001 से पूर्व भारत में औद्योगिक विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित उधार-करार" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उपखंड (iv) के स्पष्टीकरण 1क के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :--

'**स्पष्टीकरण 1क**--इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "ब्याज" पद के अंतर्गत ऋण के विलंबित संदाय पर या व्यतिक्रम पर संदत्त ब्याज नहीं है, यदि वह ऐसे ऋण के निबंधनानुसार संदेय ब्याज की दर से दो प्रतिशत प्रति वर्ष अधिक है ।';

(ग) खंड (23ककख) में, 1 अप्रैल, 2002 से,--

(i) आरंभिक भाग में, "किसी पेंशन स्कीम के अधीन" शब्दों के स्थान पर "या किसी अन्य पेंशन स्कीम के अधीन किसी बीमाकर्ता द्वारा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपखंड (ii) में, "बीमा नियंत्रक" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, बीमा नियंत्रक या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण" शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ; 1999 का 41

(घ) खंड (23खखग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(23खखघ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन "ए.एस.ओ.एस.ए.आई.-सेक्रेटेरिएट" के रूप में रजिस्ट्रीकृत सेक्रेटेरिएट आफ एशियन आर्गेनाइजेशन ऑफ दी सुप्रीम आडिट इंस्टिट्यूशन की, 1 अप्रैल, 2001 को प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत तीन पूर्ववर्षों के लिए कोई आय ;"; 1860 का 21

(ङ) खंड (23ग) में, 1 अप्रैल, 2002 से,--

(क) तीसरे परंतुक में,--

(i) खंड (क) में, "वह उद्देश्य जिसके लिए उसे स्थापित की गई है" शब्दों के पश्चात् "और ऐसे मामले में जहां कोई आय 1 अप्रैल, 2001 के पश्चात् संचित होती है वहां ऐसे संचयन की अवधि किसी भी दशा में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी" शब्द, और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में,--

(अ) उपखंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(iक) किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था द्वारा धारित कोई आस्ति, जो किसी पब्लिक कंपनी के साधारण शेयर हैं, जहां ऐसी आस्तियां 1 जून, 1998 को किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था की संपत्ति का भागरूप हैं ;";

(आ) उपखंड (iii) में, "उपखंड (i)" शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात् "और उपखंड (iक)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) आठवें परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि जहां उपखंड (iv) में निर्दिष्ट निधि या संस्था की या उपखंड (v) में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था की कुल प्राप्तियां दस लाख रुपए से अधिक हैं या जहां उपखंड (vi) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी अस्पताल या अन्य संस्था की कुल प्राप्तियां किसी पूर्ववर्ष में एक करोड़ रुपए से अधिक है वहां, यथास्थिति, निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य संस्था,--

(i) किसी स्थानीय समाचारपत्र में अपने लेखाओं को प्रकाशित करेगी ; और

(ii) इस खंड के पहले परंतुक में विहित आवेदन के साथ उस स्थानीय समाचारपत्र की प्रति देगी जिसमें ऐसे लेखे प्रकाशित किए गए हैं ।";

(च) खंड (23चख) में,--

(क) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के खंड (ख) में उपखंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा अर्थात् :--

"(i) जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास विलेख के अधीन चलाई जा रही है या भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा बनाई गई किसी जोखिम पूंजी स्कीम के अधीन चलाई जा रही है ;"; 1908 का 16 1963 का 52

(ख) इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण 2**--शंकाओं के निराकरण के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि की आय पर उस दशा में छूट जारी रहेगी यदि उस जोखिम पूंजी उपक्रम के, जिसमें जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि ने आरंभिक विनिधान किया है, शेयर बाद में भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाते हैं । ";

(छ) खंड (23छ) में, 1 अप्रैल, 2002 से,--

(क) "अवसंरचना पूंजी निधि या अवसंरचना पूंजी कंपनी" शब्दों के पश्चात्, "या सहकारी बैंक" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) "ऐसे उद्यम में, जो किसी अवसंरचना सुविधा का (i) विकास करने, (ii) अनुरक्षण और प्रचालन करने, या (iii) विकास, अनुरक्षण और प्रचालन करने, के कारबार में पूर्णतः लगा हुआ है", शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "ऐसे उद्यम या उपक्रम में, जो धारा 80झक की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कारबार में पूर्णतः लगा हुआ है", शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ग) स्पष्टीकरण 1 में,--

(i) खंड (ग) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

'(ङ) "सहकारी बैंक" का वही अर्थ होगा, जो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (घघ) में है ; 1961 का 47

(च) "ब्याज" के अंतर्गत किसी ऐसे उद्यम के संबंध में, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस खंड के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया गया है, कोई गारंटी देने या प्रत्यय रेटिंग उपलब्ध कराने के लिए किसी वित्तीय संस्था द्वारा प्राप्त कोई फीस या कमीशन है । ';

(ज) खंड (33) में, उपखंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2000 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :--

'परंतु यह खंड भारतीय यूनिट ट्रस्ट या किसी पारस्परिक निधि के यूनिटों को, भारतीय यूनिट ट्रस्ट या ऐसी पारस्परिक निधि से भिन्न व्यक्ति को अंतरण से उद्भूत किसी आय को लागू नहीं होगा :'।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 10क में,-- धारा 10क का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में,--

(i) दूसरे परंतुक में, "उपक्रम ऐसे मुक्त व्यापार क्षेत्र या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में पहली बार स्थापित किया गया था" शब्दों के स्थान पर, "उपक्रम ने ऐसे मुक्त व्यापार क्षेत्र या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसी वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन करना प्रारंभ किया था" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) तीसरे परंतुक का, 1 अप्रैल, 2002 से लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(4) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ, वह रकम होगी जो उपक्रम के कारबार के लाभों के उसी अनुपात में है, जो ऐसी वस्तुओं या चीजों या कंम्यूटर साफ्टवेयर की बाबत निर्यात आवर्त का उपक्रम द्वारा किए गए कारबार के कुल आवर्त से है ।";

(ग) उपधारा (9) के पश्चात्,--

(i) स्पष्टीकरण 1 में, "ऐसी कंपनी की दशा में" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी कंपनी की दशा में, जो ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें जनता सारभूत रूप से हितबद्ध है," शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण 2 के खंड (iv) में, "निर्यात के संबंध में" शब्दों के स्थान पर, "उपक्रम द्वारा निर्यात के संबंध में," शब्द रखे जाएंगे;

(iii) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण 3**--शंकाओं के निराकरण के लिए, यह घोषित किया जाता है, कि भारत के बाहर कंप्यूटर साफ्टवेयर के स्थलीय विकास से (जिसके अंतर्गत साफ्टवेयर के विकास के लिए सेवाएं भी हैं) व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ, भारत के बाहर कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ समझे जाएंगे ।" ।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 10ख में,-- धारा 10ख का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, दूसरे परंतुक का, 1 अप्रैल, 2002 से, लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(4) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ वह रकम होगी जो उपक्रम के कारबार के लाभों के उसी अनुपात में है जो ऐसी वस्तुओं या चीजों या कंम्यूटर साफ्टवेयर की बाबत निर्यात आवर्त का उपक्रम द्वारा किए गए कारबार के कुल आवर्त से है ।";

(ग) उपधारा (9) के पश्चात्,--

(i) स्पष्टीकरण 1 में, "ऐसी कंपनी की दशा में" शब्दों के स्थान पर "ऐसी कंपनी की दशा में, जो ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें जनता सारभूत रूप से हितबद्ध है," शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण 2 के खंड (iii) में, "निर्यात के संबंध में" शब्दों के स्थान पर "उपक्रम द्वारा निर्यात के संबंध में," शब्द रखे जाएंगे;

(iii) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्निलिखित स्पष्टीकरण, अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण 3**--शंकाओं के निराकरण के लिए, यह घोषित किया जाता है कि भारत के बाहर कंप्यूटर साफ्टवेयर के स्थलीय विकास से (जिसके अंतर्गत साफ्टवेयर के विकास के लिए सेवाएं भी हैं) व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ भारत के बाहर कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ समझे जाएंगे ।"।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 10ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अप्रैल, 1994 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :-- नई धारा 10खख का अंतःस्थापन ।

2000 का 10

'10खख. किसी उपक्रम द्वारा धारा 10ख, जैसा वह वित्त अधिनियम, 2000 की धारा 7 द्वारा इसके प्रतिस्थापन से पूर्व विद्यमान थी, के अधीन कंप्यूटर कार्यक्रम के उत्पादन से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो उस धारा में "कंप्यूटर कार्यक्रम" शब्दों के स्थान पर, "कंप्यूटर कार्यक्रम या इलैक्ट्रानिक डाटा का प्रसंस्करण या प्रबंधन" शब्द रखे गए हों ।'। कतिपय मामलों में कंप्यूटर कार्यक्रमों का अर्थ ।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- धारा 11 का संशोधन।

'परंतु यह और कि 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात् संचित या अलग रखी गई किसी आय की बाबत इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "दस वर्ष" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "पांच वर्ष" शब्द रखे गए हों। '।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 12क में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- धारा 12क का संशोधन।

"(ग) जहां धारा 11 और धारा 12 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना, इस अधिनियम के अधीन यथासंगणित न्यास या संस्था की कुल आय किसी पूर्ववर्ष में दस लाख रुपए से अधिक हो जाती है, वहां न्यास या संस्था ने,-

(i) धारा 139 की उपधारा (4क) के अधीन आय की विवरणी देने के लिए उसके मामले में लागू नियत तारीख के पूर्व, किसी स्थानीय समाचारपत्र में अपने लेखे प्रकाशित किए हैं ; और

(ii) ऐसी विवरणी के साथ ऐसे समाचारपत्र की एक प्रति दी है ।"।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अप्रैल, 1962 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :-- नई धारा 14क का अंतःस्थापन ।

"14क. इस अध्याय के अधीन कुल आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसी आय के संबंध में, जो इस अधिनियम के अधीन कुल आय का भाग नहीं है, निर्धारिती द्वारा उपगत व्यय की बाबत कोई कटौती नहीं की जाएगी ।"। कुल आय में सम्मिलित न किए जाने योग्य आय के संबंध में उपगत व्यय ।

धारा 16 का संशोधन।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 16 में, खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2002 से रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ii) ऐसे निर्धारिती को, जो सरकार से वेतन प्राप्त करता है, नियोजक द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अनुदत्त सत्कार भत्ते के प्रकार में किसी भत्ते के संबंध में, उसके वेतन के (किसी भत्ते, फायदे या अन्य परिलब्धि को छोड़कर), पंचमांश के बराबर राशि या पांच हजार रुपए की, इनमें से जो भी कम हो, कटौती ;"।

धारा 17 का संशोधन।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 17 में,--

(क) खंड (2) में,--

(i) उपखंड (iii) में,--

(अ) मद (ग) में, "चौबीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "पचास हजार रुपए" शब्द 1 अप्रैल, 2002 से रखे जाएंगे ;

(आ) परंतुक में, "अपने कर्मचारियों को कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना या उक्त कंपनी की स्कीम" शब्दों के स्थान पर "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को प्रस्तावित कर्मचारी स्टाक विकल्प स्कीम या कर्मचारी स्टाक क्रय स्कीम" शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 1992 का 15

(ii) उपखंड (vii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(viii) किसी ऐसे अन्य सीमांत फायदे या सुख-सुविधा का मूल्य जो विहित किया जाए।";

(ख) खंड (3) में, उपखंड (ii) और उससे संबंधित स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(iii) कोई रकम जो निर्धारिती को या उसके द्वारा किसी व्यक्ति से--

(अ) उस व्यक्ति के पास कोई नियोजन उसके द्वारा ग्रहण करने से पूर्व ; या

(आ) उस व्यक्ति के साथ उसके नियोजन के समाप्त करने के पश्चात्,

एक मुश्त रूप में या अन्यथा शोध्य है या प्राप्त है ।"।

धारा 23 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

वार्षिक मूल्य कैसे अवधारित किया जाता है ।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 23 के स्थान पर निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2002 से रखी जाएगी, अर्थात् :--

"23. (1) धारा 22 के प्रयोजनों के लिए, किसी संपत्ति का वार्षिक मूल्य निम्नलिखित समझा जाएगा, अर्थात् :--

(क) वह राशि जिस पर संपत्ति के वर्षानुवर्ष किराए पर दिए जाने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकती हो ; या

(ख) जहां संपत्ति या संपत्ति का कोई भाग किराए पर दिया जाता है और उसकी बाबत स्वामी द्वारा प्राप्त या प्राप्य वास्तविक किराया खंड (क) में निर्दिष्ट राशि से अधिक है, वहां इस प्रकार प्राप्त या प्राप्य रकम ; या

(ग) जहां संपत्ति या संपत्ति का कोई भाग किराए पर दिया जाता है और संपूर्ण पूर्ववर्ष या उसके किसी भाग के दौरान खाली था और इस प्रकार खाली रहने के कारण उसकी बाबत स्वामी द्वारा प्राप्त या प्राप्य वास्तविक किराया खंड (क) में निर्दिष्ट राशि से कम है वहां इस प्रकार प्राप्त या प्राप्य रकम :

परंतु संपत्ति की बाबत किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उद्गृहीत कर की (ऐसे पूर्ववर्ष को दृष्टि में लाए बिना जिसमें ऐसे करों का संदाय करने का दायित्व ऐसे स्वामी द्वारा निरंतर अपनाई जाने वाली लेखा पद्धति के अनुसार उसके द्वारा उपगत किया गया था) उस पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसे करों का उसके द्वारा वास्तव में संदाय किया जाता है, संपत्ति के वार्षिक मूल्य को अवधारित करने में कटौती की जाएगी ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के खंड (ख) या खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए, स्वामी द्वारा प्राप्त या प्राप्य वास्तविक किराए की रकम के अंतर्गत ऐसे नियमों के अधीन जो इस निमित्त बनाए जाएं किराए की वह रकम नहीं होगी जिसे स्वामी वसूल नहीं कर सकता है।

(2) जहां संपत्ति में कोई ऐसा गृह या गृह का भाग है जो,--

(क) स्वामी के स्वयं उसके निवास के प्रयोजनों के लिए अधिभोग में है ; या

(ख) स्वामी द्वारा इस तथ्य के कारण कि उसके नियोजन, कारबार या वृत्ति के किसी अन्य स्थान पर चलाए जाने के कारण उसे अन्य स्थान में किसी ऐसे भवन में निवास करना पड़ रहा है,जो उसका नहीं है, उसका वस्तुतः अधिभोग नहीं किया जा सकता,

ऐसे गृह या गृह के भाग का वार्षिक मूल्य कुछ नहीं माना जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के उपबंध लागू नहीं होंगे, यदि--

(क) गृह या गृह का भाग संपूर्ण पूर्ववर्ष या उसके भाग के दौरान वास्तव में किराए पर दिया जाता है ; या

(ख) स्वामी द्वारा उससे कोई अन्य फायदा व्युत्पन्न किया जाता है ।

(4) जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट संपत्ति में एक से अधिक गृह हैं वहां--

(क) उस उपधारा के उपबंध ऐसे गृहों में से केवल एक की बाबत लागू होंगे जो निर्धारिती अपने विकल्प पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ;

(ख) उस गृह से भिन्न जिसकी बाबत निर्धारिती ने खंड (क) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, गृह या गृहों का वास्तविक मूल्य उपधारा (1) के अधीन ऐसे अवधारित किया जाएगा मानो ऐसा गृह या ऐसे गृह किराए पर दिया गया हो/दिए गए हों ।"।

धारा 24 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

गृह संपत्ति से आय से कटौतियां ।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2002 से रखी जाएगी, अर्थात् :--

'24. "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय निम्नलिखित कटौतियां करने के पश्चात् संगणित की जाएंगी, अर्थात् :--

(क) ऐसी राशि, जो वार्षिक मूल्य के तीस प्रतिशत के बराबर हो ;

(ख) जहां संपत्ति का अर्जन, सन्निर्माण, मरम्मत, नवीकरण या पुनःसन्निर्माण उधार ली गई पूंजी से किया गया है, वहां ऐसी पूंजी पर संदेय किसी ब्याज की रकम :

परंतु धारा 23 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट संपत्ति की बाबत, कटौती की रकम तीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि जहां पहले परंतुक में निर्दिष्ट संपत्ति का अर्जन या सन्निर्माण 1 अप्रैल, 1999 को या उसके पश्चात् उधार ली गई पूंजी से किया जाता है और ऐसा अर्जन या सन्निर्माण 1 अप्रैल, 2003 से पहले पूरा हो जाता है वहां इस खंड के अधीन कटौती की रकम एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण--जहां संपत्ति का अर्जन या सन्निर्माण उधार ली गई पूंजी से किया गया है वहां उस पूर्ववर्ष के, जिसमें संपत्ति का अर्जन या सन्निर्माण किया गया है, पहले की अवधि के लिए उधार ली गई ऐसी पूंजी पर संदेय ब्याज की, यदि कोई हो, जिसमें से वह भाग घटा दिया जाएगा जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात किया गया है, इस खंड के अधीन उक्त पूर्ववर्ष के लिए और उसके ठीक बाद के चार पूर्ववर्षों में से प्रत्येक के लिए बराबर किस्तों में कटौती की जाएगी ।'।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 25 में, "वार्षिक प्रभार या" शब्दों का 1 अप्रैल, 2002 से लोप किया जाएगा । धारा 25 का संशोधन।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 25क में, 1 अप्रैल, 2002 से,-- धारा 25क का संशोधन।

(क) "धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (x) के अधीन" शब्दों, कोष्ठकों, अक्षर और अंकों के पश्चात्, "जैसा वह वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा इसका प्रतिस्थापन किए जाने के ठीक पूर्व विद्यमान थी" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "धारा 23 या धारा 24 के अधीन" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "जैसा वह वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा इसका प्रतिस्थापन किए जाने के ठीक पूर्व विद्यमान थी" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 25क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-- नई धारा 25कक का अंतःस्थापन ।

"25कक. जहां निर्धारिती ऐसी किसी संपत्ति से, जो किराए पर किसी किराएदार को दी गई है, किराया वसूल न कर सकता है और तत्पश्चात् निर्धारिती ने ऐसे किराए की बाबत कोई रकम वसूल की है, वहां इस प्रकार वसूल की गई रकम "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय समझी जाएगी और तदनुसार उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभारित की जाएगी जिसमें ऐसा किराया वसूल किया जाता है चाहे ऐसा निर्धारिती उस पूर्ववर्ष में उस संपत्ति का स्वामी है अथवा नहीं ।"। बाद में प्राप्त वसूल न किए गए किराए का आय-कर से प्रभारित होना ।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 25ख में, "संपत्ति की मरम्मत और किराए की संगणना के लिए ऐसी रकम के एक-चौथाई के बराबर रकम" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी रकम के तीस प्रतिशत के बराबर राशि" शब्द 1 अप्रैल, 2002 से रखे जाएंगे । धारा 25ख का संशोधन।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 27 के खंड (iv) और खंड (v) का 1 अप्रैल, 2002 से लोप किया जाएगा । धारा 27 का संशोधन।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 32 में, 1 अप्रैल, 2002 से,-- धारा 32 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के खंड (ii) में, स्पष्टीकरण 4 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण 5**--शंकाओं के निराकरण के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस उपधारा के उपबंध लागू होंगे चाहे निर्धारिती ने अपनी कुल आय की संगणना करने में अवक्षयण की बाबत कटौती का दावा किया है अथवा नहीं ।";

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(2) जहां निर्धारिती के निर्धारण में उपधारा (1) के अधीन किसी मोक को किसी पूर्ववर्ष में इस कारण कि उस पूर्ववर्ष के लिए प्रभार्य कोई लाभ या अभिलाभ नहीं है या इस कारण कि लाभ या अभिलाभ मोक से कम है, पूर्णतया प्रभावी नहीं किया जा सकता है वहां धारा 72 की उपधारा (2) और धारा 73 की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, वह मोक या उस मोक का भाग जिसे प्रभावी नहीं किया गया है, आगामी पूर्ववर्ष के लिए अवक्षयण के लिए मोक की रकम में जोड़ा जाएगा और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस मोक का भाग है, या यदि उस पूर्व वर्ष के लिए ऐसा कोई मोक नहीं है तो उसे उस पूर्ववर्ष के लिए मोक समझा जाएगा और उत्तरवर्ती पूर्ववर्षों के लिए इस प्रकार समझा जाता रहेगा ।"।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 33कख की उपधारा (1) में, "लाभ के बीस प्रतिशत के बराबर राशि" शब्दों के स्थान पर "लाभ के चालीस प्रतिशत के बराबर की राशि" शब्द 1 अप्रैल, 2002 से रखे जाएंगे । धारा 33कख का संशोधन ।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 35 में, 1 अप्रैल, 2002 से,-- धारा 35 का संशोधन।

(क) उपधारा (2कक) में,--

(i) "विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान" शब्दों के स्थान पर, "विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या विनिर्दिष्ट व्यक्ति" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(घ) "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है ।';

(ख) उपधारा (2कख) में,--

(i) खंड (1) में, "जो किन्हीं ओषधियों," शब्दों के स्थान पर "जो जैव-प्रौद्योगिकी के कारबार में लगी हुई है या जो किन्हीं ओषधियों," शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'**स्पष्टीकरण**--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ओषधियों और भेषजियों के संबंध में "वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय" के अंतर्गत क्लीनिक संबंधी ओषधि परीक्षण, किसी केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम के अधीन किसी विनियामक प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने और पेटेन्ट अधिनियम, 1970 के अधीन किसी अन्वेषण के पेटेन्ट के लिए कोई आवेदन फाइल करने में उपगत व्यय भी है ।'। 1970 का 39

24. आय-कर अधिनियम की धारा 35घघ के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :- नई धारा 35घघक का अंतःस्थापन ।

"35घघक. (1) जहां कोई निर्धारिती किसी पूर्ववर्ष में स्वेच्छया सेवानिवृत्ति की किसी स्कीम या स्कीमों के अनुसरण में किसी कर्मचारी को उसकी स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के समय किसी रकम के संदाय के रूप में कोई व्यय उपगत करता है वहां इस प्रकार संदत्त रकम का एक बटा पांच की कटौती उस पूर्ववर्ष के लिए कारबार के लाभ और अभिलाभ की संगणना करने में की जाएगी और शेष की कटौती ठीक चार उत्तरवर्ती पूर्ववर्षों में से प्रत्येक के लिए समान किस्तों में की जाएगी : स्वेच्छया सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन उपगत व्यय का क्रमिक अपाकरण।

परंतु यह तब जब कि ऐसा संदाय धारा 10 के खंड (10ग) के परंतुक के अधीन विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन बनाई गई स्कीम या स्कीमों के अनुसरण में किया गया हो ।

(2) उपधारा (1) में वर्णित व्यय की बाबत कोई कटौती इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी।"'।

धारा 43ख का संशोधन ।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 43ख में, 1 अप्रैल, 2002 से,--

(i) खंड (ङ) में, "या" शब्द अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(ii) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(च) किसी ऐसी राशि की बाबत जो नियोजक के रूप में निर्धारिती द्वारा अपने कर्मचारी के जमा खाते में की किसी छुट्टी के बदले में संदेय है,";

(iii) पहले परंतुक में, "खंड (ङ)" शब्द, कोष्ठकों और अक्षर के पश्चात् "या खंड (च)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iv) स्पष्टीकरण 3क के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण 3ख**--शंकाओं के निराकरण के लिए, यह घोषित किया जाता है कि जहां इस धारा के खंड (च) में निर्दिष्ट किसी राशि की बाबत कटौती उस पूर्ववर्ष की (जो 1 अप्रैल, 2001 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष है), जिसमें निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि का संदाय करने का दायित्व उपगत किया गया था, धारा 28 में निर्दिष्ट आय की संगणना करने में अनुज्ञात की जाती है, वहां निर्धारिती उस पूर्ववर्ष की, जिसमें उसके द्वारा ऐसी राशि वस्तुतः संदत्त की जाती है, आय की संगणना करने में ऐसी राशि की बाबत इस धारा के अधीन किसी कटौती का हकदार नहीं होगा ।"।

धारा 44कख का संशोधन ।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 44कख में,--

(क) दूसरे परंतुक में, "विहित प्ररूप में" शब्दों के पश्चात् "किसी लेखाकार द्वारा" शब्द, अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) अंत में आने वाले स्पष्टीकरण में, खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(ii) किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के लेखे के संबंध में, "विनिर्दिष्ट तारीख" से अभिप्रेत है,--

(क) जहां निर्धारिती कोई कंपनी है वहां निर्धारण वर्ष के अक्तूबर का 31वां दिन ;

(ख) किसी अन्य मामले में, निर्धारण वर्ष की जुलाई का 31वां दिन ।'।

धारा 47 का संशोधन।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 47 में,--

(क) खंड (iii) के परंतुक में, "कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना या स्कीम के अधीन" शब्दों के स्थान पर "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार बनाई गई कर्मचारी स्टाक विकल्प स्कीम या कर्मचारी स्टाक क्रय स्कीम" शब्द और अंक रखे जाएंगे; 1992 का 15

(ख) खंड (viiक) में, "शेयर" शब्द के स्थान पर, "सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीद" शब्द 1 अप्रैल, 2002 से रखे जाएंगे ।

धारा 49 का संशोधन।

28. आय-कर अधिनियम की धारा 49 में, उपधारा (2क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(2कक) जहां पूंजी अभिलाभ शेयरों, डिबेंचरों या वारंटों के अंतरण से उद्भूत होता है जिसका मूल्य धारा 17 के खंड (2) के अधीन परिलब्धि के मूल्य की संगणना करते समय हिसाब में लिया गया है, ऐसे शेयरों, डिबेंचरों या वारंटों के अर्जन की लागत उस खंड के अधीन मूल्य होगी ।"।

धारा 54ङग का संशोधन ।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 54ङग के अंत में आने वाले स्पष्टीकरण में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2002 से रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(ख) "दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति" से अभिप्रेत है,--

(i) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 1 अप्रैल, 2000 को या उसके पश्चात् ; 1981 का 61 1988 का 68

(ii) रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कंपनी है, 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात्, 1956 का 1

जारी किया गया तीन वर्षीय मोचनीय कोई बंधपत्र, और ' ।

नई धारा 54ङघ का अंतःस्थापन ।

30. आय-कर अधिनियम की धारा 54ङग के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

कतिपय सूचीबद्ध प्रतिभूतियों या यूनिट के अंतरण पर पूंजी अभिलाभ का कतिपय मामलों में प्रभारित न किया जाना ।

'54ङ घ.(1) जहां पूंजी अभिलाभ, ऐसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति से, जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियां या यूनिट हैं, अंतरण से उद्भूत होता है, (इस प्रकार अंतरित पूंजी आस्ति को इस धारा में इसके पश्चात् मूल आस्ति कहा गया है) और निर्धारिती ने, ऐसे अंतरण की तारीख के पश्चात् छह मास की अवधि के भीतर पूंजी के पात्र निर्गम के (ऐसे साधारण शेयरों को इस धारा में इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट साधारण शेयर कहा गया है) भागरूप साधारण शेयर अर्जित करने में, संपूर्ण पूंजी अभिलाभ या उसके किसी भाग का विनिधान किया है वहां उक्त पूंजी अभिलाभ के संबंध में कार्यवाही इस धारा के निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार की जाएगी, अर्थात् :--

(क) यदि विनिर्दिष्ट साधारण शेयर की लागत मूल आस्ति के अंतरण से उदभूत पूंजी अभिलाभ से कम नहीं है तो ऐसे संपूर्ण पूंजी अभिलाभ को धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा ;

(ख) यदि विनिर्दिष्ट साधारण शेयरों की लागत मूल आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ से कम है तो पूंजी अभिलाभ के उतने भाग का, जिसका संपूर्ण पूंजी अभिलाभ का वही अनुपात है जो अर्जित विनिर्दिष्ट साधारण शेयरों की लागत का संपूर्ण पूंजी अभिलाभ से है, धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(i) "पात्र पूंजी निर्गम" से साधारण शेयरों का वह निर्गम अभिप्रेत है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :--

(क) निर्गम भारत में बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत किसी पब्लिक कंपनी द्वारा किया जाता है,

(ख) निर्गम के भागरूप शेयर जनता को प्रतिश्रुति के लिए आफर किए जाते हैं ;

(ii) "सूचीबद्ध प्रतिभूति" पद का वही अर्थ होगा जो धारा 112 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (क) में है ;

(iii) "यूनिट" का वही अर्थ होगा जो धारा 115कख के खंड (ख) में है ।

(2) जहां विनिर्दिष्ट साधारण शेयरों का उनके अर्जन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर विक्रय किया जाता है या अन्यथा अंतरण किया जाता है वहां मूल आस्ति के अंतरण से उदभूत पूंजी अभिलाभ की रकम जो उपधारा (1) में, यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) में उपबंधित ऐसे विनिर्दिष्ट साधारण शेयरों की लागत के आधार पर धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं की गई है, उस पूर्व वर्ष के, जिसमें ऐसे साधारण शेयरों का विक्रय किया जाता है या अन्यथा अंतरण किया जाता है, दीर्घकालिक पूंजी आस्तियों से संबंधित 'पूंजी अभिलाभ' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय समझी जाएगी ।

(3) जहां विनिर्दिष्ट साधारण शेयरों की लागत को उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए हिसाब में लिया गया है वहां ऐसी लागत के संदर्भ में आय-कर की रकम में से कटौती धारा 88 के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।'।

31. आय-कर अधिनियम की धारा 54ज में, "54ङक, 54ङख" अंकों और अक्षरों के स्थान पर "54ङग" अंक और अक्षर रखे जाएंगे। धारा 54ज का संशोधन।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (2) के खंड (क) में "किसी कारबार की गुडविल" शब्दों के पश्चात् "या किसी कारबार से सहयुक्त व्यापार चिह्न या ब्राण्ड नाम" शब्द 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 55 का संशोधन।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 72क की उपधारा (7) में, खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2000 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :-- धारा 72क का संशोधन।

'(कक) "औद्योगिक उपक्रम" से कोई ऐसा उपक्रम अभिप्रेत है जो,--

(i) माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में ; या

(ii) कंप्यूटर साफ्टवेयर के विनिर्माण में ; या

(iii) विद्युत या शक्ति के किसी अन्य रूप के उत्पादन या वितरण के कारबार में ; या

(iv) खनन में ; या

(v) पोत, वायुयान या रेल प्रणाली के सन्निर्माण में,

लगा हुआ है ;'।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगग की उपधारा (1) में, "भारतीय जीवन बीमा निगम" शब्दों के पश्चात् "या किसी अन्य बीमाकर्ता" शब्द 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 80गगग का संशोधन ।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 80घ की उपधारा (2) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2002 से रखा जाएगा, अर्थात् :-- धारा 80घ का संशोधन।

"परंतु ऐसा बीमा,--

1972 का 57 (क) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 के अधीन बनाए गए भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा इस निमित्त बनाई गई और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित स्कीम के अनुसार होगा ; या

1999 का 41 (ख) किसी अन्य बीमाकर्ता द्वारा इस निमित्त बनाई गई और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किसी स्कीम के अनुसार होगा ।"।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 80घघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में, "भारतीय यूनिट ट्रस्ट" शब्दों के स्थान पर, ", "किसी अन्य बीमाकर्ता या भारतीय यूनिट ट्रस्ट" शब्द, 1 अप्रैल, 2002 से रखे जाएंगे । धारा 80घघ का संशोधन ।

37. आय-कर अधिनियम की धारा 80छ में, 1 अप्रैल, 2002 से,-- धारा 80छ का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के खंड (i) में, "या उपखंड (iii जझ)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, "या उपखंड (iii जञ)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) के खंड (क) में, उपखंड (iiiजझ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(iiiजझ) राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास ; या"। 1999 का 44

38. आय-कर अधिनियम की धारा 80छछ के परंतुक के खंड (ii) में, "धारा 23 की उपधारा (2) के, यथास्थिति, खंड (क) के उपखंड (i) या खंड (ख) के अधीन" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 23 की, यथास्थिति, उपधारा (2) के खंड (क) या उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक, 1 अप्रैल, 2002 से रखे जाएंगे । धारा 80छछ का संशोधन ।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 80जजङ में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- धारा 80जजङ का संशोधन ।

"**स्पष्टीकरण**--शंकाओं के निराकरण के लिए यह घोषित किया जाता है कि भारत के बाहर कंप्यूटर साफ्टवेयर के स्थलीय विकास से (जिसके अंतर्गत साफ्टवेयर के विकास के लिए सेवाएं हैं) व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ, भारत के बाहर कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ के रूप में समझे जाएंगे ।"।

40. आय-कर अधिनियम की धारा 80झक में,-- धारा 80झक का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2002 से रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(1) जहां निर्धारिती की सकल कुल आय में कोई ऐसे लाभ या अभिलाभ सम्मिलित हैं जो उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी कारबार से (ऐसे कारबार को इसमें इसके पश्चात् पात्र कारबार कहा गया है) किसी उपक्रम या उद्यम द्वारा व्युत्पन्न हुए हैं, वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में, ऐसे कारबार से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ के सौ प्रतिशत के बराबर की रकम की कटौती दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, अनुज्ञात की जाएगी।";

(ख) उपधारा (2) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु जहां निर्धारिती उपधारा (4) के खंड (i) के स्पष्टीकरण के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी अवसंरचना सुविधा का विकास या प्रचालन और अनुरक्षण अथवा विकास, प्रचालन और अनुरक्षण करता है, वहां इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "पन्द्रह वर्ष"शब्दों के स्थान पर "बीस वर्ष" शब्द रखे गए हों ।";